न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 143/2016

श्री रतनलाल बुगालिया, संजय स्कूल के पास, आजाद नगर मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 वगै0

वादीगण

बनाम

श्रीमती केसर देवी पुत्री स्व0 श्री किशनलाल बुगालिया पत्नि श्री श्रीराम गोडेश्वर, जाति भांभी निवासी दरगड़ धर्मशाला के पास, शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 व अन्य

प्रतिवादीगण

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

दिनांकः 27.08.2025

उपस्थितः शिवा पंवार — वादीगण अभिभाषक

सुरेश गोडेश्वर — प्रतिवादीगण अभिभाषक

1. यह प्रार्थना पत्र दिनांक 02.11.2016 को प्रतिवादी सं0 1 द्वारा जरिये वकील श्याममनोहर पुरोहित के माध्यम से अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत् न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थीयां/प्रतिवादी सं0 1 द्वारा पूर्व में एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध वादीगण/अप्रार्थीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 इस योग्य न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जो दिनांक 01.04.2015 को प्रतिवादी सं0 1/प्रार्थीया के पक्ष में प्रारम्भिक डिक्री किया गया है जिसमें निर्णित किये जा चुके विवाद बिन्दुओं को पुनः अंकित कर यह वाद पत्र प्रस्ततु किया गया है इस कारण वादीगण/अप्रार्थीगण का यह वाद पत्र कानूनी तौर पर पोषणीय नहीं है एवं खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण/अप्रार्थीगण, प्रतिवादी सं0 1/प्रार्थीया व प्रतिवादी सं0 2 के पिता श्री

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

किशनलाल पुत्र श्री हरजी जाति भांभी निवासी किशनगढ़ के नाम एक कृषि आराजी ग्राम मदनगंज पटवार क्षेत्र मदनगंज भू0 अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित है जिसका पुराना खाता सं0 65 नया खाता सं0 63 ख0नं0 78/11 में रकबा 10 बीघा किस्म बंजर प्रथम है जिसका श्री किशनलाल की मृत्यु के पश्चात् फौती नामान्तकरण खुलवाने के लिये वादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 02.11.2006 को तहसीलदार किशनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसके साथ संलग्न सजरा में प्रतिवादी सं0 1/प्रार्थीया को वारिसान की सूची में नहीं दर्शाया गया जबकि वह श्री किशनलाल की जायन्दा पुत्री है जो अभी जीवित है। इस प्रार्थना पत्र में जांच के दौरान प्रतिवादी सं0 1/प्रार्थीया को श्री किशनलाल की जायन्दा पुत्री होना पाये जाने पर उसका नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया जिसका वादीगण/अप्रार्थीगण ने न तो विरोध किया और न ही किसी सक्षम न्यायालय में उसकी अपील की। इस आशय का अंकन न्यायालय ने भी प्रतिवादी सं0 1/प्रार्थीया द्वारा पूर्व में प्रस्तुत वाद पत्र सं0 62/2007 में दिये गये आदेश दिनांक 01.04.2015 में निर्णय तनकी सं0 1 में भी किया है। प्रतिवादी सं0 1/प्रार्थीया ने स्वयं के हिस्से की कृषि आराजी का विधिवत् बंटवारा कर अलग से नामान्तकरण खोले जाने बाबत् प्रस्तुत वाद पत्र सं0 62/2007 अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में किये गये कथनों के समर्थन में नामान्तकरण की प्रति प्रदर्श–1, जमाबन्दी प्रदर्श–2, प्रार्थना पत्र वास्ते खोले जाने फौती नामान्तकरण प्रदर्श–3, सजरा प्रदर्श–4, शपथ पत्र प्रदर्श–5, विवाह का निमंत्रण पत्र प्रदर्श–6, प्रतिवादी सं0 2 का विद्यालय प्रवेश प्रार्थना पत्र प्रदर्श–8ए भी प्रस्तुत किये जिसके आधार पर प्रकरण सं0 62/2007 का निस्तारण किया गया है। प्रतिवादी सं0 1/प्रार्थीया द्वारा पूर्व में प्रस्तुत वाद पत्र सं0 62/2007 जिसका निर्णय दिनांक 01.04.2015 को किया गया है जिसमें प्रतिवादी सं0 1/प्रार्थीया, वादीगण/अप्रार्थीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 के मध्य स्व0 श्री किशनलाल की कृषि आराजी में हितबद्धता के रहते प्रतिवादी सं0 1/प्रार्थीया के पैरा वर्णित वाद पत्र व वादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे में वर्णित कथनों के आधार पर दिनांक 07.06.2008 को तनकियात कायम की गई थी एवं उक्त तनकियात का निस्तारण प्रतिवादी सं0 1/प्रार्थीया के पक्ष में दिनांक 01.04.2015 को माननीय न्यायालय द्वारा किया गया था। प्रतिवादी सं0 1/प्रार्थीया द्वारा पूर्व में प्रस्तुत वाद पत्र सं0 62/2007 में न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.04.2015 की अनुपालना में तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा इस कृषि आराजी का विधिवत् बंटवारा कर रिपोर्ट न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत कर दी है। जिसमें फाईनल डिक्री जारी होना शेष है। वादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के पैरा सं0 1 में किये गये कथनानुसार वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का इस कृषि आराजी में 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकित है जबकि प्रतिवादी सं0 1/प्रार्थीया का राजस्व रिकार्ड में नाम अंकित नहीं होना चाहिये। इस संबंध में

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी सं0 1/प्रार्थीया की ओर से निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 1/प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में पूरी जांच पड़ताल कर नियमानुसार ही अंकित किया गया है जिसका वादीगण/अप्रार्थीगण ने न तो कोई विरोध किया है और न ही किसी सक्षम न्यायालय में इसकी अपील की। इस प्रकार उक्त नामान्तकरण आदेश अन्तिम है तथा निर्णय दिनांक 01.04.2015 भी किसी सक्षम न्यायालय में अपील नहीं की है एवं उक्त प्रारम्भिक डिक्री अन्तिम है ऐसी स्थिति में वादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के पैरा सं0 2 में वर्णितानुसार किशनलाल पुत्र हरजी जाति भांभी ने अपने जीवित रहते एक तहरीर के जरिये घोषणा रूबरू गवाहान करी थी कि ममेरी बेटी केसर देवी की चार बेटियों की शादी मैंने खुदने व मेरे तीन बेटों की मदद से कराई है और अब मेरी खेती की जमीन ख0नं0 78/11 की 10–00–00 कृषि भूमि है जो गोपी जी गुर्जर की खेती की जमीन के पास बीड़ मदनगंज में है उस पर मैने तीनों बेटों को 1/3 हिस्सा मेरे हाथों से तीनों बेटों के सामने कर किया है जिसमें किसी की बाजरदारी या हिस्सा मांगने का हक नहीं होगा, इस संबंध में प्रतिवादी सं0 1/प्रार्थीया का निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 1/प्रार्थीया द्वारा पूर्व में प्रस्तुत वाद पत्र सं0 62/2007 में किये गये कथन व वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे में अंकित कथनों के आधार पर विशिष्ट रूप से तनकी सं0 2 कायम की गई जो न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.04.2015 से बहक प्रतिवादी सं0 1/प्रार्थीया विरूद्ध वादीगण/अप्रार्थीगण व प्रतिवादी सं0 2 उपरोक्त पैरा सं0 6 में वर्णितानुसार निर्णित की जा चुकी है। जिसकी वादीगण/अप्रार्थीगण ने किसी भी सक्षम न्यायालय में अपील नहीं की है तथा निर्णय तनकी सं0 2 के प्रकाश में वादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पूर्व न्याय के सिद्धान्त के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत तहरीर दिनांक 04.06.1988 पूर्णतः फर्जी एवं कूटरचित है जिसमें कथन किया गया है कि मेरी पुत्री केसर देवी का चार बेटियों का विवाह मेरे तीनों पुत्रों की मदद से करा दिया है जबकि प्रतिवादी सं0 1/प्रार्थीया की पुत्रियों का विवाह इस कथित तहरीर में अंकित दिनांक के पूर्व नहीं होकर करीब एक वर्ष बाद दिनांक 20.05.1989 को हुआ था जिसे स्वयं वादीगण/अप्रार्थीगण ने भी अपनी साक्ष्य में दौरान जिरह में स्वीकार किया है। वादीगण/अप्रार्थीगण ने श्री किशनलाल का अनपढ़ होना भी अपनी साक्ष्य में स्वीकार किया है जबकि इस कथित तहरीर पर किशनलाल के हस्ताक्षर किसी पढ़े लिखे व्यक्ति द्वारा किये गये है जिसको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हस्ताक्षर विशेषज्ञ ने भी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करना प्रमाणित माना है। जो इस तहरीर के फर्जी एवं कूटरचित होने का पुख्ता प्रमाण है। अन्यथा भी वादीगण/अप्रार्थीगण ने इस कथित तहरीर के समर्थन में किसी भी प्रकार की साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की थी तथा जिस पर तनकी कायम होकर एवं निस्तारित हो चुकी है। वादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत वाद पत्र के पैरा सं0 5 में कथन किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के आदेश दिनांक 02.11.2015 में दिये गये निर्णय के अनुसार 9.09.2005 से पूर्व किसी पिता की मृत्यु हो जाने पर उसकी पुत्री पिता की सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। क्योंकि किशनलाल की मृत्यु दिनांक 17.04.2003 को हो चुकी है इस कारण प्रतिवादी संख्या 1/प्रार्थीया इस कृषि आराजी में हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। वादीगण/अप्रार्थीगण ने पैरा वर्णित कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार की साक्ष्य वाद पत्र के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है। केवल समाचार पत्रों में छपी खबर के आधार पर यह कथन वाद पत्र में अंकित किया जाना प्रतीत होता है जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली का पैरा वर्णित आदेश प्रतिवादी संख्या 1/प्रार्थीया पर लागू नहीं होता है। वादीगण/अप्रार्थीगण विधि विरूद्ध तरीको से प्रकरण के निस्तारण में बार–बार बाधा उत्पन्न कर न केवल माननीय न्यायालय का बेशकीमती समय बर्बाद कर रहे है बल्कि इनके इस कृत्य से प्रतिवादी सं0 1/प्रार्थीया को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को भारी हर्जे खर्चे से खारिज करने के आदेश जारी करने का निवेदन किया।

3. वादीगण की ओर से वकील श्री शिवा पंवार द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं0 1 ने पूर्व में एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरूद्ध वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 के न्यायालय में पेश किया था जो दिनांक 01.04.2015 को प्रतिवादी सं0 11 प्रार्थीया के पक्ष में प्रारम्भिक डिक्री किया था जो तथ्य स्वीकार है शेष तथ्य अस्वीकार है। वादीगण ने वाद प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्ध 53, 88, 89, 90ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश किया है जो साक्ष्य व वादीगण को खातेदारी दिलवाने व प्रतिवादिया को खातेदारी से मुक्त करने बाबत् का है जो साक्ष्य के बाद ही तय होगा। वाद पत्र के पैरा सं0 4 में वर्णित तथ्य पूर्व में प्रतिवादिया के नाम राजस्व रिकार्ड में पिता की सम्पत्ति में पुत्री का हिस्सा होने की वजह से खुला था तथा वर्तमान में नये कानून के तहत् पिता की सम्पत्ति में पुत्री को तब ही हिस्सा मिलेगा जब उसके पिता के मृत्यु दिनांक 09.09.2005 के बाद हुई है इस प्रकरण में वादीगण के पिता की मृत्यु दिनांक 17.04.2003 को हो गई थी इसलिए प्रतिवादिया अपने पिता की सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकती है। किशनलाल ने अपने जीवित रहते जो वसीयत लिखी थी उसमें प्रतिवादिया को कोई हक व हिस्सा नहीं दिया था तथा पूर्व पटवारी हल्का ने केवल मात्र प्रतिवादिया मृतक किशनलाल की पुत्री होने के आधार पर खाता खोला था जो विधि विरूद्ध है। उक्त प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 10 में वर्णित तथ्य 62/2007 मे पारित निर्णय के पूर्व राजस्व रिकार्ड से सम्बन्धित है जो गलत है वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वर्णित तथ्यों में प्रतिवादिया सं0

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

1 का पिता की सम्पत्ति में पुत्री का कोई हिस्सा नहीं बनता है। वादीगण अपनी साक्ष्य में यह सिद्ध कर देगा की सुप्रीम कोई ने जो आदेश पारित किये है जो सही है तथा उपरोक्त कानून सभी लोगों पर नियमानुसार बाध्यकारी है। पूर्व में निर्णित केस के तथ्य वर्तमान में विचाराधीन केस के तथ्यों से विपरित भिन्न है। अतः वादी द्वारा प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

4. वकील प्रतिवादी द्वारा वाद में दिनांक 06.05.2024 को लिखित बहस पेश की।

4.1 वकील प्रतिवादी सं0 1 द्वारा अपनी लिखित बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीया/वादिया के पूर्व वाद संख्या 62/2007 में निर्णित किये जा चुके विवादित मुद्दो को पुनः अंकित कर प्रस्तुत पश्चात्वर्ती वाद संख्या–143/2016 के विधि विरूद्ध होने से प्रार्थीया ने जरिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 11 सी.पी.सी. दिनांक 02.11. 2016 से पश्चात्वर्ती वाद को खारिज किये जाने का निवेदन किया। माननीय न्यायालय ने प्रार्थीया का पैरा वर्णित प्रार्थना पत्र दिनांक 02.11.2016 को आदेश दिनांक 10.02.2020 से खारिज कर दिया। प्रार्थीया ने आलोच्य आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी टी.ए. संख्या–1440/2020 प्रस्तुत की जिसमें आदेश दिनांक 15.05.2023 से आलोच्य आदेश को निरस्त कर पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की है कि वे श्रीमति केसर देवी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी पर नये सिरे से प्रकरण का समुचित परीक्षण कर विधि अनुसार निस्तारण करें। इस आदेश में यह भी अंकित किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी खारिज करते समय कोई विवेचन नही किया है। तथा उन्होने दोनो वाद में विवादित बिन्दु क्या है तथा पक्षकारान के मध्य क्या विवाद है, इस बाबत कोई कथन अंकित नही किया है। केवल सरसरी तौर पर आदेश पारित किया है जो नॉन स्पीकिग व नॉन रिजन्ड की श्रेणी में आता है। प्रार्थीया द्वारा एक राजस्व वाद संख्या–62/2007 अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बउनवान केसर देवी बनाम रतन लाल व अन्य बाबत स्वयं की खातेदारी भूमि का विधिवत बटवारा कराने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें सम्बन्धित पक्षो को सुनकर उनके दस्तावेजो को रिकार्ड पर लेकर आदेश दिनांक 01.04.2015 से सभी विवादित मुद्दो का निस्तारण कर वादिया के पक्ष में प्रारम्भिक डिक्री पारित की । कमिश्नर ने जमाबन्दी में अंकितानुसार बाद मौका निरीक्षण बटवारा कर बटवारा रिपोर्ट श्रीमान के समक्ष पृथक से प्रस्तुत की। अप्रार्थीगण ने प्रारम्भिक डिकी व बटवारा रिपोर्ट की बिना कोई अपील किये पूर्व वाद में निर्णित किये जा चुके विवादित मुद्दो को चातुर्यता से भ्रमित करने वाले अधिवचन अंकित कर वाद संख्या 143/2016 अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 90ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बउनवान रतनलाल व

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

अन्य बनाम केसर देवी व अन्य माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसमें विवादित बिन्दू निम्नानुसार हैः–

1. प्रतिवादिया का नामान्तकरण से नाम काटकर उसके इस कृषि में 1/4 हिस्से को निरस्त कर इस कृषि भूमि के 1/3 हिस्से वादीगण व प्रतिवादी संख्या–2 के नाम किये जावे–

2. श्री किशन लाल ने अपने जीवन काल में जरिये तहरीर दिनांक 04.06.88 से यह कृषि भूमि हम तीनो पुत्रो के नाम कर दी थी जिसमें पुत्री केसर देवी की पुत्रियों की शादी हम तीनो भाईयो की सहायता से करा देने के कारण प्रार्थीया को इस खेती की जमीन में हिस्सा नही दिया गया है।

3.माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.11.2015 के प्रकाश में यदि पिता की मृत्यु वर्ष 2005 से पूर्व हुई हो तो पुत्री को पिता की सम्पत्ति में अधिकार नही है। श्री किशन लाल की मृत्यु भी वर्ष 2005 से पूर्व हुई है इस कारण प्रार्थीया इस भूमि में हिस्सा पाने की अधिकारी नही है।

4. प्रतिवादिया का इस खेती की जमीन में कभी भी कब्जा–काश्त नही रहा तथा हम वादीगण व प्रतिवादी संख्या–2 ही इस भूमि पर काबिज काश्त है।

उपरोक्त का जबाब इस प्रकार हैः–विवादित बिन्दु संख्या 1 व 2 का पूर्व वाद में कायम की गयी तनकी संख्या–1 व 2 का आदेश दिनांक 01.04.2015 से प्रार्थीया/वादिया के पक्ष में निस्तारण किया जा चुका है जो इस प्रकार हैः–तनकी संख्या–1 "आया वाद अधीन भूमि में वादिया का 1/4 हिस्सा है तथा 1/4 हिस्से का नीवं, सीव से बटवारा करने की अधिकारी है। "

निर्णय तनकी संख्या–1 "प्रर्दश–1 नामान्तकरण संख्या–1274 दिनांक 11.01.2007 के अनुसार स्व. किशनलाल की मृत्यु होने पर प्रस्तुत नामान्तकरण में मृतक की पुत्री के सम्बन्ध में जॉच करने पर वादिया का नाम बतौर स्व० किशनलाल की वारिस होने के नाते रिकार्ड में खातेदारी दर्ज किया जाकर प्रर्दश–2 जमाबन्दी सम्वत् 2060–2063 में नामान्तकरण संख्या–1264 का अंकन किया जा चुका है। इस प्रकार वादिया वाद अधीन आराजी की बतौर खातेदार दर्ज है। प्रतिवादी द्वारा उक्त नामान्तकरण के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कोई अपील भी नही की है। अतः तनकी बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।" तनकी संख्या 02 "आया जबाब दावे में अंकित कथनानुसार वादिया वाद अधिन भूमि में किसी प्रकार का हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नही है

निर्णय तनकी संख्या–2

उपखण्ड अधिकारी

"प्रतिवादी द्वारा वादिया का वाद अधिन भूमि में प्रर्दश–ए–1 तहरीर दिनांक 04.06. 1988 अपजिकृत है। उक्त तहरीर के साथ फोटोग्राफस् वादिया की पुत्रियो की शादी के फोटोग्राफस है। किन्तु उक्त तहरीर एवं फोटोग्राफस राजस्व नियमो के मुताबिक वादिया अपने पिता की भूमि में हकत्याग नही माना जा सकता है अतः उक्त तनकी विरूद्ध प्रतिवादी बहक वादिया निर्णित की जाती है। अन्यथा भी यह तहरीर कुटरचित है जिसके कुटरचित होने की प्रर्याप्त साक्ष्य पूर्व से ही रिकार्ड पर है। यदि यह तहरीर कूटरचित नही भी होती तथा इसे पूर्व वाद में निर्णित नही भी किया जाता तब भी यह तहरीर निम्नांकित न्यायिक दृष्ट्न्तों के प्रकाश में निम्नानुसार न तो साक्ष्य में स्वीकार किये जाने योग्य, ना ही इसके माध्यम से स्वामित्व का दावा किया जा सकता है। और ना ही इस कथित तहरीर पर सुने जाने का माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार उपलब्ध है।

2019 (1) आर.आर.टी. पेज नं.1 एस.सी. पैरा–10

"उचित मुद्राकित न होने और अनरजिस्टर्ड होने से साक्ष्य में ग्रहण नही "

2019 (1) आर.आर.टी पेज नं.332 एस.सी. पैरा–16

"अपीलान्ट्स प्रतिवादीगण अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर स्वतः का दावा कर रहे है जो कि अपीलान्ट्स को कोई अधिकार प्रदत्त नही करता "आर.बी.जे. (26) 2019 पेज 142 राजस्थान उच्च न्यायालय पैरा संख्या 11–14

"सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 7 नियम 11–वसीयत की वैधता का निर्णय करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है, वसीयत की वैधता राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णित नही की जा सकती "

आर.बी.जे.2019 पेज 748 राजस्व मण्डल अजमेर पैरा संख्या–7–8

"सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 7 नियम 11–अपंजीकृत एवं अपूर्ण मुद्रांकित इकरारनामे के आधार पर विवादित आराजी पर घोषणा का अनुतोष चाहा है। इस प्रकार के वाद राजस्व न्यायालय में संधारण योग्य नही है। इस प्रकार के वाद की सुनाई का अधिकार सिविल न्यायालय को है–आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है "

अप्रार्थीगण / वादीगण इस वाद में मांगे गये अनुतोष की पूर्व वाद में भी निम्नानुसार विभिन्न प्रार्थना पत्रो के माध्यम से कई बार मांग कर चुके है जो खारिज फरमाये जा चुके है। इस कारण भी अप्रार्थीगण का यह वाद खारिज किये जाने योग्य है।

यह कि पूर्व वाद में दिनांक 07.06.08 को दोनो पक्षो की सहमति से तनकियात कायम किये गये जिसमें तनकी संख्या–2 इस वाद में मांगे गये अनुतोष बाबत थी।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने दिनांक 21.06.2008 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5 सीपीसी का प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार अतिरिक्त तनकी कायम करने की मांग की जब कि तनकी संख्या–2 पहले से ही कायम होने से अप्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 24.06.2008 से खारिज फरमाया गया । अप्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय के उपरोक्त पैरा वर्णित आदेश दिनांक 24.06.08 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में एक निगरानी याचिका प्रस्तुत की जो आदेश दिनांक 03.03.2009 से खारिज फरमायी गयी। अप्रार्थीगण ने पूर्व वाद में दिनांक 11.04.2011 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 आवश व 4 में अंकितानुसार संशोधन करना चाहा था। अप्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र भी, दिनांक 15.07.2011 से खारिज फरमाया गया । अप्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय के उपरोक्त पैरा वर्णित आदेश दिनांक 15.07.2011 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में एक निगरानी याचिका प्रस्तुत की वह भी आदेश दिनांक 23.08.2011 से खारिज फरमायी गयी । अप्रार्थीगण ने पूर्व वाद संख्या–62/2007 में पारित प्राथमिक डिक्री व बटवारा रिपोर्ट की बिना कोई अपील किये दिनांक 29.06.2016 को आपत्ति करते हुये एक प्रार्थना पत्र आपत्ति प्राथमिक डिकी को अपास्त कर रिव्यू करने एवं बटवारा रिपोर्ट निरस्त कर पुनः तैयार करने की मांग की जिसमें अप्रार्थीगण ने 5 साल में 108 अवसर बहस के लिये। अन्तिम अवसर दिये जाने के बाद भी बहस नही कर इसी अनुतोष बाबत दिनांक 02.03.2021 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सपठित धारा 141 सीपीसी प्रस्तुत किया। दोनो प्रार्थना पत्रो पर दिनांक 24.03.2021 को दोनो पक्षो की बहस सुनी जाकर आदेश दिनांक 15.04.2021 से अप्रार्थीगण के दोनो प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये गये। अप्रार्थीगण के उपरोक्त पैरा वर्णित प्रार्थना पत्र दिनांक 29.09.2016 व 02.03.2021 को दोनो पक्षो को सुना जाकर बाद बहस सुना जाकर खारिज कर देने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय पर यह मिथ्या आरोप लगाते हुये की माननीय न्यायालय ने उसे बिना सुने ही उसके प्रार्थना पत्रो को खारिज कर दिया है, एक प्रार्थना पत्र वास्ते पुनर्विलोकन दिनांक 14.07.2021 अन्तर्गत धारा 114 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 15.04.2021 के पुर्नर्विलोकन की मांग की । अप्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र भी आदेश दिनांक 04.10.2022 से खारिज फरमाया गया । अप्रार्थीगण ने उनके प्रार्थना पत्र 14.07.2021 वास्ते पुनर्विलोकन हेतु के विचाराधीन रहते आदेश दिनांक 15.04.2021 के विरूद्ध तथ्य छिपाते हुये दिनांक 03.08.2021 को एक निगरानी याचिका माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की उसमें भी वही आरोप लगाये गये जो प्रार्थना पत्र 14.07.2021 के पैरा संख्या 4,5,6, व 7 में लगाये गये थे। अप्रार्थीगण की यह निगरानी याचिका दिनांक 31.10.2022 को खारिज फरमायी गयी, अप्रार्थीगण द्वारा इस वाद में मांगा गया अनुतोष इनके द्वारा पूर्व वाद में भी मांगा गया था जिसका निस्तारण

उपखण्ड अधिकारी
(अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त पैरा 3,4,5,6,7,8,9,10, में वर्णितानुसार प्रार्थीया के पक्ष में किया जा चुका है इस कारण अप्रार्थीगण का यह वाद माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त के प्रकाश में निम्नानुसार विधि विरूद्ध होने से खारिज फरमाये जाने योग्य है।

आर.आर.डी 14.05.2018–309 पैरा 14

"यह सूस्थापित विधि का सिद्धान्त है कि एक ही अनुतोष के लिये भिन्न न्यायालयो में अलग–अलग कार्यवाही नही की जा सकती"

विवादित बिन्दु संख्या–2(3) का जबाब–प्रतिवादिया स्वर्गीय श्री किशनलाल की जाईन्दा पुत्री है जो सर्वोच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त के प्रकाश में जन्म से ही पिता की सम्पत्ति में पुत्रो के समान ही बराबर की हिस्सेदार है चाहे पिता की मृत्यु वर्ष 2005 से पूर्व हुई हो या बाद "2020(3) डी.एन.जे पेज 817 एस.सी पैरा 129–130" विवादित बिन्दु संख्या 2(4) के कथन यदि सत्य भी मान लिया जाये तब भी निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्तो के प्रकाश में निम्नांनुसार वादीगण का यह कथन विधि विरूद्ध होने से स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

आर.आर.डी 14.11.2018 पेज 665 पैरा–8 "सहखातेदारी भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इन्च में तब तक कब्जा–काश्त माना जाता है तब तक पक्षकारो में विधिवत बंटवारा नही हो जाता " आर.बी.जे (26) 2019 पेज 10 पैरा–14 "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 63–कोई भी व्यक्ति भूमि पर अनाधिकृत कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नही कर सकता "। दोनो वाद पत्रो में विवादित भूमि, पक्षकार व विवादित बिन्दु समान है इस कारण निम्नांकित न्यायिक दृष्ट्रान्तो के प्रकाश में पश्चातवृर्ती वाद विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है चाहे दोनो वादो में धाराऐ व अनुतोष भिन्न भिन्न ही क्यो न हो

2017 (2) आर.आर.टी पेज 1154 एस.सी पैरा 19,20,21 आर.बी.जे.2017 पेज 117 राजस्थान उच्च न्यायालय पैरा 14 2006 (1) आर.आर.टी. पेज–226 राजस्व मण्डल अजमेर

प्रार्थीया 73 वर्ष की आयु पूर्ण कर वरिष्ठ नागरिक है, हदय रोग से पीडित है जो कानूनन शीघ्र न्याय पाने की अधिकारी है। बावजूद इसके स्वयं की खातेदारी भूमि में बटवारा कराने के इस मामूली से वाद में 16 वर्ष बाद भी वह न्याय से वंचित है तथा अप्रार्थीगण के इस विधि विरूद्ध आचरण से प्रार्थीया को भारी मानसिक, शारिरीक व आर्थिक हानि उठानी पड रही है जिसकी भरपाई भी वह अप्रार्थीगण से कराने की अधिकारी है। इस प्रकार के विधि विरूद्ध दावो की प्रस्तुति से वाद बाहुल्यता में गुणात्मक वृद्धि हो रही है जो बढ़कर साढे पाँच करोड़ से भी अधिक हो चुकी है जिस पर माननीय सर्वोच्य न्यायालय के माननीय चीफ जस्टिस श्री चन्द्रचूड़ साहब ने

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

भी चिन्ता व्यक्ति की है। हो सकता है वादीगण इस वाद के निस्तारण पश्चात एक नया वाद यह कहते हुये पेश करदे कि उनके पिता ने जरिये तहरीर दिनांक 04.06. 1988 से यह कृषि भूमि हम तीनो भाईयो के नाम कर दी थी जिसमें छोटे भाई सूरजमल की मृत्यु हो चुकी है इस कारण इस जमीन के 1/2 हिस्से हम दोनो भाईयो वादीगण के नाम कर दी जावें। जब इससे पूर्व वाद की पुनरावृति बताकर वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया जायेगा तो यह तर्क करेगें की इसमें तनकियात कायम नही की गई। साक्ष्य भी रिकार्ड पर नही आयी है। पूर्व वाद में इस जमीन के 1/3 हिस्सा करने की मांग की गई थी, इस वाद में 1/2 हिस्सा किये जाने की मांग की गयी है तो कैसा कहा जा सकता है कि यह वाद पूर्व वाद की पुनरावृति है आदि आदि। इस कारण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने बाद बाहुल्यता के मध्यनजर निम्नांकित निर्णय में निम्नानुसार ऐसे ही एक वाद को खारिज किया है

आर.आर.डी–14.04.2018 पेज 215 पेरा–9

"अन्तहीन विवादो को लम्बा चलाये रखने के हथियार के रूप में प्रयोग किया जाना एल.बी.का मन्तव्य कतई नही है। "

"मात्र तकनीकी आधार पर बटवारे के विवाद को अन्तहीन समय तक लम्बा खीचना एल.बी. की मंशा नही है। " अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 11 सीपीसी दिनांक 02.11.2016 को स्वीकार कर अप्रार्थीगण/वादीगण के राजस्व वाद संख्या 143/2016 को भारी हर्जे–खर्चे से खारिज फरमावें। अन्य कोई अनुतोष जो प्रार्थीया के पक्ष में हो, प्रदान करें।

4.2 वादीगण की ओर से वकील श्री शिवा पंवार द्वारा द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि वाद संख्या–62/2007 केसर बनाम रतन बंटवारे तथा स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष बाबत वाद हेतुक नियत है जिसमें केवल प्रारम्भिक डिक्री पारित हुई है अन्तिम आदेश / निर्णय होने पर ही धारा–11 सी.पी.सी. के प्रावधान लागू होते है। पश्चातवर्ती वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणात्मक डिक्री रतनलाल बनाम केसर (राजस्व वाद संख्या–143/2016) बाबत तथा स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा गया दोनो वाद में विवाद बिन्दू अलग–अलग है धारा–11 सी.पी.सी. के प्रावधान लागू नहीं होते है चूंकि धारा–11 सी.पी.सी. के अनुसार पूर्ववर्ती वाद निर्णित होना चाहिये तथा विवाधक प्रत्यक्ष या सारत समान होने चाहिए वाद संख्या–143/2016 रतनलाल बनाम केसर देवी तनकी विरचित नहीं की गयी है तथा दोनों वादों का विवाधक या वाद बिन्दू समान होना कैसे निर्धारित किया जा सकता है उक्त वाद में प्रमुख रूप से निम्न विवाधक विचरित होगा–आया वादीगण 1/3 हिस्से की खातेदारी अधिकार की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। राजस्व बोर्ड द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

निगरानी संख्या–1440/2020 को आंशिक स्वीकार करके केसर देवी बनाम रतनलाल में निम्न बिन्दू को दृष्टिगत रखते हुए निगरानी ने प्रतिवादिया केसर देवी द्वारा किये गये कथनों के जवाब निम्न है– प्राथमिक डिक्री की अपील नहीं की गयी है दिनांक 01.04.2015 को पारित प्राथमिक डिक्री के सम्बन्ध में अपील नहीं करके, घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया गया है जो कि विधि सम्मत है। तहरीर दिनांक 04.06.1988 को तहरीर कूटरचित है तनकी संख्या–1 लगायत–4 में उक्त तहरीर को कूटरचित या संदेह युक्त नहीं माना गया है न ही कोई निष्कर्ष दिया गया है केसर देवी की पुत्रियों का विवाह दिनांक 04.06.1988 को निष्पादित तहरीर के एक वर्ष पश्चात दिनांक 20. 06.1989 को हुआ है इस बिन्दू के सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय द्वारा तनकी संख्या–1 लगायत 4 के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है। प्रमुखता उक्त तहरीर की कूटरचना तथा पुत्रियों के विवाह के सम्बन्ध में प्रार्थिया प्रतिवादिया केसर देवी द्वारा दिनांक 22.02.2022 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–71/2022 वादीगण रतनलाल, हीरालाल के विरूद्ध थाना मदनगंज में माननीय न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय संख्या–1 के आदेश से मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें अदमवकू सिविल नेचर बाद अनुसंधान पाया गया यदि तहरीर दिनांक 04.06.1988 कूटरचित प्रार्थिया / प्रतिवादिया केसर देवी द्वारा मानी गयी है तो उक्त तहरीर की एफ.एस.एल. केसर देवी द्वारा क्यों नहीं करायी गयी थी जो कि सामान्य सोच की बात है। अतः उक्त विधिक परिस्थिति में प्रार्थना पत्र आदेश–7 नियम–11 सी.पी.सी. को मय भारी हर्जे खर्चे से खारिज किये जाने की कृपा फरमावे ।

5. हमारे द्वारा वकील प्रतिवादी सं0 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 सपठित धारा 11 सी0पी0सी0 एवं शपथ व वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील पक्षकारान् कि ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 सपठित धारा 11 सी0पी0सी0 पर बहस सुनकर उस पर मनन किया। हमारे द्वारा न्यायालय हाजा में विचाराधीन पूर्ववर्ती वाद संख्या 62/2007 का गहन अवलोकन किया गया।

वादी द्वारा हस्तगत वाद में इस आशय का अनुतोष वांछित किया गया है कि वाद के पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि आराजी भूमि प्रतिवादी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा भू भाग का खातेदार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रखा है उसे निरस्त किया जावे, उसके स्थान पर वादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 02 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 03 का 1/3 हिस्सा के बहक घोषणात्मक डिक्री वादीगण के पक्ष में पारित किया जावे। किन्तु वादी द्वारा वादपत्र में इस आशय बाबत किसी ठोस वाद हैतुक का उल्लेख नहीं किया गया है, केवल मात्र एक तहरीर के आधार पर उक्त

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

अनुतोष चाहा किया गया है जो कि अपंजीकृत है , अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर प्रतिवादीया को उसके हक हकूक से बेदार नहीं किया जा सकता जबकि प्रतिवादीया वादअधीन भूमि में वर्तमान में रिकार्डेड खातेदार है। "अपीलान्ट्स प्रतिवादीगण अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर स्वतः का दावा कर रहे है जो कि अपीलान्टस को कोई अधिकार प्रदत्त नही करता है।

"आर.बी.जे. (26) 2019 पेज 142 राजस्थान उच्च न्यायालय पैरा संख्या 11–14 एवं (माननीय उच्चतम न्यायालय 2019 (01) आर.आर.टी.041 सीता राम भामा बनाम रामवतार भामा आदेश दिनांक 23 मार्च 2018)।

पूर्ववर्ती वाद में तनकीयात संख्या 02 व 03 के निर्णय से एवं चुंकि प्रतिवादिया स्वर्गीय श्री किशनलाल की जाईन्दा पुत्री है जो सर्वोच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त के प्रकाश में जन्म से ही पिता की सम्पत्ति में पुत्रो के समान ही बराबर की हिस्सेदार है चाहे पिता की मृत्यु वर्ष 2005 से पूर्व हुई हो या बाद में। ("2020(3) डी.एन.जे पेज 817 एस.सी पैरा 129–130")। तथाकथित तहरीर की वैधता एवं प्रासंगिकता का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है।

द्वितीयतः वकील वादी द्वारा हस्तगत वाद संस्थन से पूर्व ही न्यायालय हाजा में एक वाद उनवान केसर बनाम रतनलाल अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत विचाराधीन है तथा वादी उक्त वाद में उपसंजात हो चुकें है। वाद केसर बनाम रतनलाल में तनकीयात कायम होकर प्राथमिक डिक्री जारी हो चुकी है जिसमें तनकी संख्या 02 का जो कि वादअधीन भूमि में हक अधिकार से सम्बन्धित है, को बहक वादीया अर्थात केसर के हक मे निर्णीत किया गया है क्योंकि वादअधीन भूमि पैतृक भूमि होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 06 के अनुसार केसर का वादअधीन भूमि में हक हिस्सा निहित है। पूर्ववर्ती वाद एवं हस्तगत वाद में वाद की विषयवस्तु एवं वादी एवं प्रतिवादी के मध्य विवाद बिन्दु समान हैं, धारा 11 सी.पी.सी. के अनुसार **"CPC Section 11" refers to Section 11 of the Indian Code of Civil Procedure (CPC), which deals with the doctrine of Res Judicata. This principle prohibits a court from re-trying a lawsuit or an issue that has already been directly and substantially decided in a prior lawsuit between the same parties under similar circumstances, preventing endless litigation and ensuring the finality of judgments.** अर्थात यह सिद्धांत न्यायालय को किसी मुकदमे या मुद्दे पर पुनः सुनवाई करने से रोकता है, जो पहले ही समान परिस्थितियों में उन्हीं पक्षों के बीच हुए मुकदमे में प्रत्यक्ष और सारतः तय हो चुका है, जिससे अंतहीन मुकदमेबाजी को रोका जा सकता है और निर्णयों की अंतिमता सुनिश्चित की जा सकती है। "The concept of Res-Judicata works on three maxims and they are as

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

follows. 1. Re-judicata pro veritate occipitur: judgement given by the court will be true and everyone should follow it. 2. Nemo debet lis vaxari pro eadem causa: For the same offence, no person should be tortured and harassed twise. 3. Interest republicae ut sit finid litium: There should be an end of litigation in Courts दोनो वाद पत्रो में विवादित भूमि, पक्षकार व विवादित बिन्दु समान है इस कारण निम्नांकित न्यायिक दृष्ट्रान्तो के प्रकाश में पश्चातवृर्ती वाद विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है चाहे दोनो वादो में धाराऐ व अनुतोष भिन्न भिन्न ही क्यो न हो "2017 (2) आर.आर.टी पेज 1154 एस.सी पैरा 19,20,21; आर.बी.जे.2017 पेज 117 राजस्थान उच्च न्यायालय पैरा 14 2006 (1) ; आर.आर.टी. पेज–226 राजस्व मण्डल अजमेर"।

वादीगण को वाद संस्थन से पूर्व ही पूर्ववर्ती वाद उनवान केसर बनाम रतनलाल का पूर्ण संज्ञान था जिसमें तनकीयात कायम होकर प्राथमिक डिक्री जारी हो चुकी थी एवं वादीगण द्वारा प्राथमिक डिक्री को अन्य सक्षम न्यायालय में अपील/चुनौती नहीं दी गई है। प्राथमिक डिक्री अपने आप में सम्पूर्ण होती है तथा अंतिम डिक्री केवल प्राथमिक डिक्री का क्रियान्वयन मात्र होता है। *"अंतिम डिक्री का कार्य प्रारंभिक डिक्री द्वारा दिए गए आदेश को पुनः प्रस्तुत करना और लागू करना है। इस प्रकार, अंतिम डिक्री प्रारंभिक डिक्री पर आधारित और उसके द्वारा नियंत्रित होती है। यह स्थापित कानूनी स्थिति है कि अंतिम डिक्री की कार्यवाही प्रारंभिक डिक्री कार्यवाही की निरंतरता में होती है और जब तक अंतिम डिक्री पारित नहीं हो जाती, तब तक कोई निष्पादन योग्य डिक्री नहीं होती। अंतिम डिक्री स्वयं उत्पन्न नहीं होती, बल्कि किसी वाद में पहले से पारित प्रारंभिक डिक्री से प्रवाहित होती है जो वाद में पक्षकारों के अधिकारों और हितों का निर्धारण और घोषणा करती है। अंतिम डिक्री प्रारंभिक डिक्री के निष्पादन में डिक्री नहीं, बल्कि एक वाद में डिक्री होती है। यह अंतिम डिक्री है जिसे लागू किया जाना है। ए.आई.आर 1935 पीसी 12 में दर्ज दित्ता बनाम दित्ता मामले में प्रिवी काउंसिल के माननीय न्यायाधीशों ने यह टिप्पणी की कि अंतिम डिक्री न तो पक्षकारों के मूल अधिकारों से संबंधित है और न ही विभाजन के मुकदमे में पक्षकारों की संपत्ति या शेयरों पर स्वामित्व का निर्णय या घोषणा करती है और जब तक अंतिम डिक्री पारित नहीं हो जाती, तब तक सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 18 के अनुसार कोई निष्पादन योग्य डिक्री नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुथांगी अय्याना बनाम मुथांगी जग्गा राव मामले (1977) 1 एससीसी 241 में दर्ज मामले में यह निर्णय दिया कि अंतिम डिक्री प्रारंभिक डिक्री को पीछे नहीं हटा सकती, उसमें संशोधन या परिवर्तन नहीं कर सकती।"*

"वेंकट रेड्डी बनाम पेठी रेड्डी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने AIR 1963 SC 992 में रिपोर्ट दी, जिसमें कहा गया था कि 'पारित प्रारंभिक डिक्री, चाहे वह बंधक वाद में हो या विभाजन वाद में, एक अस्थायी डिक्री नहीं है, बल्कि जहाँ तक इसके द्वारा निपटाए गए मामलों का संबंध है, इसे निर्णायक माना जाना चाहिए। निस्संदेह, ऐसे मुकदमों

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

में जिनमें दो डिक्री, एक प्रारंभिक डिक्री और एक अंतिम डिक्री, जारी करने की बात होती है, वह डिक्री जो निष्पादन योग्य होगी, अंतिम डिक्री होगी। लेकिन किसी डिक्री या निर्णय की अंतिमता आवश्यक रूप से उसके निष्पादन योग्य होने पर निर्भर नहीं करती है। विधानमंडल ने अपनी बुद्धिमता से यह विचार किया है कि कुछ प्रकार के वादों का निर्णय चरणों में किया जाना चाहिए और यद्यपि ऐसे मामलों में वाद को अंतिम डिक्री के बाद ही पूर्णतः निर्णीत माना जा सकता है, तथापि न्यायालय द्वारा पूर्व चरण में लिए गए निर्णय की भी अंतिमता होती है। आदेश XX नियम 18 के उपनियम (1) और (2) के अंतर्गत पारित डिक्री का स्वरूप समान है। यह सत्य है कि नियम 18 के उपनियम (1) के अंतर्गत पारित डिक्री को प्रारंभिक नहीं कहा गया है और उपनियम (2) के अंतर्गत पारित डिक्री को प्रारंभिक घोषित किया गया है।"

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा न्यायिक दृष्टान्तों के परिपेक्ष्य में प्रतिवादी सं0 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 वास्ते वाद पत्र खारिज किये जाने बाबत् सपठित धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता को स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद वाद हैतुक के अभाव में एवं धारा 11 सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 27/8/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

रजत यादव (आई.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner